तम्बाकू मुक्त राजस्थान से ही निरोगी राजस्थान की ओर बढ़ेगा कदम

कोविड-19 के बाद राजस्थान में तम्बाकू जनित उत्पादों की बिक्रि पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध के दौरान बीड़ी,सिगरेट, गुटका, पान मसाला, खैनी सहित अनेक तम्बाकू उत्पाद पांच से दस गुना रेट में बिके तथा लगातार ब्लैक में बिक्री जारी है। पुलिस व कर विभाग द्वारा समय-समय पर गत दो माह में कार्यवाही करके करीब 20 करोड़ रूपये से अधिक के तम्बाकू उत्पाद जब्त किए गए है। यह तम्बाकू उत्पाद लागत मूल्य पर 20 करोड़ रूपये की राशि बताई जा रही है परंतु ग्राहक तक पहुंचते-पहुंचते यह राशि 100 करोड़ रूपये की हो जाती है। कोविड-19 के बाद तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन तो नही हुआ लेकिन गोदामों में भारी मात्रा में स्टॉक रखा है। स्टॉक में तम्बाकू उत्पाद भारी मात्रा में होने के कारण बीड़ी, सिगरेट, गुटका, पान मसाला, खैनी आदि का उपभोग करने वाले उपभोक्ता को ब्लैक में तम्बाकू उत्पाद मिलना बदसुरत जारी है। हालांकि रेट अधिक होने व प्रतिबंधित होने के कारण उपभोग कम होने लगा है। चबाने वाले तम्बाकू उत्पादों की मांग सबसे अधिक है।

निरोगी राजस्थान के तहत राज्य सरकार ने नशा मुक्त समाज का संकल्प लिया है। कोविड-19 के कारण तम्बाकू पर लगे प्रतिबंधों के कारण निरोगी राजस्थान की कल्पना कुछ हद तक आगे बढ़ रही है। युवा को नशे की लगती है तो उसके नशे की प्रथम सीढ़ी तम्बाकू उत्पाद व सुपारी ही होते है। यदि कोविड-19 के कारण लंबे समय तक तम्बाकू प्रतिबंध रहता है तो जो युवा वर्ष 2020 में नशे की दुनियां में कदम रखता है वह बच जायेगा ऐसी सम्भावना है।

केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों व मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री, भण्डारण व उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि आईसीएमआर की अपील के अनुसार चबाने वाले तम्बाकू उत्पाद जैसे पान मसाला,गुटका, खैनी व सुपारी आदि के खाने से मुंह के अंदर एक विशेष प्रकार की लार बनता है जिसके कारण तम्बाकू चबाने वाला व्यक्ति थूकने को मजबूर होता है और इस प्रकार के थूकने से कोविड-19 का संक्रमण बढ़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिये है कि स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत का सपना पुरा करने हेतु सार्वजनिक स्थानों पर थुकना रोका जावें। यदि कोई फिर भी थुकता है तो जुर्माना वसुला जावें। इस कानून की पालना गृह विभाग करवा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि तम्बाकू उत्पादों के उपयोग से कोविड-19, टीबी, स्वायन फ्लू व दिमागी बुखार जैसी बिमारी हो रही है।

यदि निरोगी राजस्थान का सपना पुरा करना है तो स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत के लिए तम्बाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रखना होगा तभी सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी बंद हो सकता है। इसे लागु करवाने में स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ पुलिस व कर विभाग की भुमिका भी अहम है।

Rajan Choudhary

Secretary

SRKPS